CHETANA
International Journal of Education

Impact Factor
SJIF=5.689

Peer Reviewed/
Refereed Journal

ISSN-Print-2231-3613
Online-2455-8729

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Received on 18th August 2020, Revised on 24th August 2020, Accepted 19th Sept. 2020

शोध पत्र

नई शिक्षा नीति 2020 : 21वीं सदी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में

* मनीष पंवार
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, बीएमयु, रोहतक
Email - manishpanwar20172017@gmail.com, Mob.- 8950451225

मुख्य शब्द : *उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, भाषाओं के प्रासंगिक, शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, शिक्षा का संस्कृतिकरण आदि.*

सारांश

देश की शिक्षा नीति में करीब 34 साल बाद बदलाव किया गया इसमें एक ओर प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है तो ग्रेजुएशन स्तर पर डिग्री कोर्स को 4 साल तक का कर दिया गया है. देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का एलान हुआ है. केंद्र सरकार ने बुधवार 29 जुलाई को देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके तहत प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा में व्यापक बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा देश में शिक्षा का जिम्मेदारी संभाल रहे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. नई शिक्षा नीति को व्यावहारिकता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है. देश की शिक्षा नीति में ये बदलाव करीब 34 साल बाद पेश किया गया है. इसमें एक ओर प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है तो ग्रेजुएशन स्तर पर डिग्री कोर्स को 4 साल तक का करदिया गया है नई शिक्षा नीति की 10 अहम बातें-

कम से कम पांचवी कक्षा तक और संभव हो तो आठवीं और उसके आगे भी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी. यानी हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे. देश में 10+2 के आधार पर चलने वाली पद्धति में बदलाव होगा. अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से पाठ्यक्रम होगा. यानी प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवी तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौंवी से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा.

नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन इन्हें ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा. अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है. लेकिन नई शिक्षा नीति में तीन हिस्से होंगे. पहला बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा अध्यापक के जरिए.

इतना ही नहीं, अब कक्षा छठीं से ही छात्रों को कोडिंग भी पढ़ाई जाएगी, जो कि स्कूली शिक्षा पूरी करने तक उनके कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) में मदद करेगी. अंडर ग्रेजुएट कोर्स को अब 3 की बजाए 4 साल का कर दिया गया है. हालांकि छात्र अभी भी 3 साल बाद डिग्री हासिल कर पाएंगे, लेकिन 4 साल का कोर्स करने पर, सिर्फ 1 साल में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर पाएंगे. 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए, जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है. हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी. इसके साथ ही M.Phil को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जबकि MA के बाद छात्र सीधे Phd कर पाएंगे. नई शिक्षा नीति में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नियम अब एक होंगे. अब किसी भी डीम्ड-यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी के नियम अलग-अलग नहीं होंगे. नई नीति स्कूलों और एचईएस दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है. राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृत, भारतीय अनुवाद संस्थानऔरव्याख्या की स्थापना की जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह बोले- भारत को थी नई शिक्षा नीति की सख्त जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार कर की गई इस तरह की योजना की भारत को सख्त जरूरत थी. शाह ने यह भी कहा कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में सचमुच में एक उल्लेखनीय दिन है. गृह मंत्री ने ट्वीट किया, "शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बुनियाद है और पिछले 34 साल से भारत को इस तरह की एक भविष्योन्मुखी योजना की सख्त जरूरत थी."

प्रस्तावना

शिक्षा प्रणाली को नियन्त्रित करने वाले सभी सिद्धान्तों एवं नियम-कानूनों के समुच्चय को शिक्षा नीति (Education policy) कहा जाता है। उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति (Policy) कहते हैं। नीति, सोच समझकर बनाये गये सिद्धान्तों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में मदद करती है। नीति में अभिप्राय का स्पष्ट उल्लेख होता है। नीति को एक प्रक्रिया (procedure) यानयाचार (नय+आचार / protocol) की तरह लागू किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें 'राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल' युवक-युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति, तथा 1993 में प्रो. यशपाल समिति का गठन किया गया। .

कोठारीआयोग

सन् १९६४ में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉ कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग (1964-66) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपार्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी विद्वानों के परामर्श से तैयार किया गया है जिसकी वजह से ही हमारे देश में शिक्षा के पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के अर्थ में महात्मा गांधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, दिल एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य की अंर्तनिहितपूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ-साथ हम यह भी देखेंगे किसन 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नति को लाने की आवश्यकता पड़ी और साथ में यह भी देखेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था?

सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है।

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकनअनुपात (Gross Eurolment Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं -

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान

नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) - 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2 तीन वर्ष का प्री-पेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage) तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और 4 वर्ष का उच (या माध्यमिक) चरण - ग्रेड 9, 10,

11, 12 NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

भाषायी विविधता का संरक्षण

NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा

विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

इसनीतिमेंप्रस्तावितसुधारोंकेअनुसार, कलाऔरविज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता'

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्था त्भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commision of India-HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान

भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। आकांक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा। गौर तलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण एनसीआरटीई द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

राज्यों का सहयोगः शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। महँगी शिक्षाः नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भाषाओं के प्रासंगिक दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होनाः कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं। वित्तपोषणः वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जी डी पी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। मानव संसाधन का अभावः वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

भारतीय भाषाओं के शिक्षण और सीखने को हर स्तर पर स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाए। भाषाओं के प्रासंगिक और जीवंत बने रहने के लिए, इन भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, वीडियो, नाटकों, कविताओं, उपन्यासों, पत्रिकाओं आदि सहित उच्च गुणवत्ता वाली प्रकाशित सामग्री की एक स्थिर धारा हो। भाषाओं को व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने वाले अपने शब्दकोष हों जिन का लगातार आधिकारिक अपडेट हो। स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हों पहल—स्कूल के सभी स्तरों पर संगीत, कला और शिल्प पर हो अधिक जोर; बहु भाषा वाद को दिया जाए बढ़ावा, इसके लिए तीन-भाषा सूत्र का प्रारंभिक कार्यान्वयन हो; जहां संभव हो घर/स्थानीय भाषा में शिक्षण हो; अधिक अनुभवात्मक भाषा सीखने का संचालन हो; ज्ञानी प्रशिक्षकों के रूप में उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, शिल्पकारों और अन्य विशेषज्ञों की भर्ती हो; मानविकी, विज्ञान, कला, शिल्प और खेलों में जनजातीय और अन्य स्थानीय ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम, तुलनात्मक साहित्य, रचनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन आदि देशभर में विकसित किए जाएंगे, 4 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में इन विषयों में दोहरी डिग्री विकसित की जाए. कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, पुरातत्व संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन और उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर वेब डिजाइन में डिग्री भी बनाई जाएं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्र जाएंगे देश भर में, यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ बढ़ाएगा।

संस्कृत को स्कूल में मजबूत प्रस्ताव के साथ मुख्यधारा में लाया जाए- जिसमें तीन-भाषा सूत्र में भाषा के विकल्पों में से एक के साथ-साथ उच्च शिक्षा भी शामिल हो। संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के बड़े बहु-विषयक संस्थान बनने की ओर अग्रसर होंगे। पूरे देश में संस्कृत और सभी भारतीय भाषा संस्थानों और विभागों को और सुदृढ़ किया जाए।

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए, अकादमियों की स्थापना होगी। आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए ये अकादमियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श या सहयोग से स्थापित की जाएंगी। अन्य अत्यधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं के लिए भी अकादमियां इसी तरह केंद्र और /या राज्यों द्वारा स्थापित की जा सकती हैं। भारत में सभी भाषाओं, और उनकी संबंधित कला और संस्कृति को एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म/ पोर्टल/ विकी के माध्यम से प्रलेखित किया जाएगा, ताकि लुप्त प्राय और सभी भारतीय भाषाओं और उनके संबंधित समृद्ध स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित किया जा सके।

नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी. शिक्षा नीति का मतलब ये समझिए कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, ग्रेजुएशन कितने साल को होगा, बोर्ड की परीक्षाएं कौनसी क्लास में होंगी. इस तरह के नियम तय करने वाली नीति. और इन नियमों की एक नई नीति मोदी सरकार लेकर आई है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2020 नाम दिया गया है. नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी. हालांकि सरकार को ये खयाल अचानक से आया हो, ऐसा नहीं है. 2014 के लोकसभा चुनाव में नई शिक्षा नीति बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा था. और सरकार में आने के बाद भी बीजेपी ने ये एजेंडा छोड़ा नहीं.

नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर, 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की कमिटी बनाई. कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मई, 2016 को. इसके बाद 24 जून, 2017 को ISRO के प्रमुख रहे वैज्ञानिक के.कस्तूरीगन की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. 31 मई, 2019 को ये ड्राफ्ट एच आर डी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया. ड्राफ्ट पर एच आर डी मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे थे. इस पर दो लाख से ज्यादा सुझाव आए. और इसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी. 31 जुलाई बुधवार को new education policy 2020 अप्रूवल दे दिया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं यह 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो 34 साल पुराने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस कर दिया है

New education policy 2020 advantages and disadvantages

आइए जानते हैं कि इस नई new education policy के आने से क्या फायदे और क्या advantages और क्या disadvantages है इससे भारत के education system का क्या प्रभाव पड़ेगा. स्कूली बच्चों को में स्ट्रीम में वापस लाने का लक्ष्य है| पुराने 10 + 2 करिकुलम को बदलकर 5 + 3 +3 + 4 curriculum को लागु कर दिया गया है | जैसे की -

5-[3 से 8 साल के बच्चे] जो [LKG से क्लास 3] की पढाई करेंगे |

3 -[8 से 11 साल तक के बच्चे] जो [class 4 से class 6] तक की पढाई करेंगे |

3 -[11 से 14 साल तक के बच्चे] जो [class 6 से class 8] तक की पढाई करेंगे

4 -[14 से 18 साल तक के बच्चे]जो [class 9 से class 12] तक की पढाई करेंगे

इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी शिक्षा शामिल की गई है इस new education policy 2020 में | 3 साल की आंगनबाड़ी शिक्षा जिसमें बच्चों को खेलकूद सिखाया जाएंगे कराए जाएंगे इसमें बच्चों का परीक्षा नहीं होगा इसमें बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाएगा| इस new education policy 2020 में हम एक ऐसा पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा बनाएंगे जो early childhood care के बच्चों जो 2 से 8 साल के आयु के बच्चों के लिए होगी | हम एक राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति तैयार करेंगे. प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण को बनाया जाएगा जो पूरे देश में बच्चों को पढ़ाया जाएगा को तैयार किया जायेगा |

Common entrance exam

भारत में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं छात्र एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करते-करते परेशान हो जाया करते हैं इस NEW EDUCATION POLICY 2020 में बताया गया है कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं की जगह पर सिर्फ एक ही परीक्षा ली जाएगी जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जैसे जेईई मेंस जेई एडवांस डब्लूडीजेई इन सारी परीक्षाओं की जगह सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा|

NEW EDUCATION POLICY 2020 में क्लास सिक्स से coding सिखाया जाएगा जो कि बहुत बढ़िया है कोडिंग से बच्चों में टेक्निकल नॉलेज का विक व्यवसाय कार्य पहले बच्चे पाठ्यक्रम में सारी चीजें पढ़ लेते थे लेकिन उनको उनका उपयोग नहीं कर पाते थे लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाते थे बच्चे- बच्चे ग्यारहवीं क्लास से बारहवीं तक पढ़ चुके हैं लेकिन वह बच्चे एक बल्ब नहीं बना पाते हैं जो कि उसके पाठ्यक्रम में दिया गया है वह बच्चा रट्टा मारकर अंक प्राप्त कर लेता है लेकिन उसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहता है लोकेशन एजुकेशन में छात्र को सिलाई-बुनाई कार पेंटिंग जिसे कार्य सिखाए जाएंगे जो कि जो कि आगे जाकर रोजगारी में भी मदद करेगा|

आप अपने passion को study के साथ फॉलो कर सकते हैं जैसे अगर आपकी आपको किसी खेल में रुचि है तो आप उसे as a subject लेकर चल सकते हैं जिसमें आप अच्छा करेंगे तो आपका अंक जोड़े जाएंगे रिपोर्ट कार्ड में new education policy 2020 में बताया गया है | भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए एक नया पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा| आंगनबाड़ी शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा कक्षा 8 तक बच्चे मातृभाषा में पड़ेंगे पढ़ सकते हैं|

यदि कोई छात्र 1 साल पढ़ने के बाद college छोड़ देता है किसी कारण से तो उसे 1 year college certificate दिया जाएगा यदि 2 साल की परीक्षा देने के बाद कॉलेज छोड़ता है तो उसे Diploma की डिग्री दी जाएगी यदि सिर्फ 3 साल के बाद छोड़ता तो उसे Bachelor degree दी जाएगी यदि 4 साल पर छोड़ता तुझसे हाई लेवल रिसर्च की डिग्री दी जाएगी| कॉलेज छोड़ने के बाद यदि छात्र कुछ समय बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो उसे first year से admission लेने की कोई जरूरत नहीं होगी वह direct जहां से उसने पढ़ाई अपनी शुरू की है वहां से अपने वह पढ़ाई शुरू कर सकता है और वहां से कॉलेज एडमिशन दे दिया जायेगा यह एक बहुत ही बढ़िया बात है इस new education policy 2020 की | M.phil [master of philosophy] कि डिग्री को खत्म कर दिया है| 100 % GRE [graduate record examination] के लक्ष्य |

अच्छे और समझदार शिक्षकों की भर्ती होगी शिक्षक बनने के लिए 4 साल कंप्लीट करना होगा जिसमें शिक्षकों को बताया जाए कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है कि उनको समझ में आए शिक्षकों को और भी अन्य चीजें सिखाए जाएंगे जिससे कोडिंग मातृभाषा में शिक्षकों की भर्ती होगी ताकि वह मातृभाषा में बच्चों को पढ़ा सकें|

new education policy 2020 को अगर कोई शिक्षण संस्था उसके नियमों को नहीं मानेगी तो उसी स्टार संस्था को दंडित किया जाएगा। Report card. रिपोर्ट कार्ड पर छात्र खुद को अपने अनुसार नंबर देंगे इससे यह इसका यह मतलब नहीं कि खुद को ज्यादा नंबर दे सकता है छात्र उसको अपनी क्षमता के अनुसार अंक देना होगा उसका सहपाठी भी उसके क्षमता के अनुसार नंबर देगा और शिक्षक भी अंक देगा इससे बच्चों को अपने अपना मनोबल का पता चलेगा कि वह कितने स्ट्रांग हैं

भारत सरकार द्वारा जीडीपी का 1.7 प्रतिशत से भी कम शिक्षा पर खर्च किया जाता है जो कि हमारे जनसंख्या और स्कूलों की स्थिति के अनुसार बहुत कम है लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा जो कि हमारे इन साइड को रिजल्ट रिबिल्ड करेगा लेकिन जब-जब शिक्षा नीति बनी है तब-तब कहा गया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा लेकिन ऐसा किसी भी सरकार ने किया नहीं है यह सरकार वादा पूरा करती है कि नहीं| जो बड़ा सिलेबस है उसे कम किया जाएगा जैसे पुराने एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्लास इलेवंथ अक्टूबर का सिलेबस बहुत बड़ा होता था लेकिन इससे ने भी 2020 में सिलेबस को चार भागों में 4 क्लास में बांट दिया जाएगा जिससे सिलेबस कम होगा बच्चों पर बहुत कम दबाव पड़ेगा| Board exam बोर्ड परीक्षाओं की महत्वता को कम अब बोर्ड की परीक्षाएं साल में दो बार होंगी जो कि सेमेस्टर के रूप में जानी जाएंगी जिसमेंस्टर में छात्र का अंक ज्यादा आएगा उसी को मान्य किया जाएगा यह नीति की सबसे बढ़िया बात है। भाषा को कम महत्व दिया गया है अंग्रेजी worldwide बोलने वाली भाषा है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया गया है अंग्रेजी भाषा तब काम आती है जब आप विदेश घूमने के लिए जाते हैं या विदेश में अपना बिजनेस करते हैं अंग्रेजी एक प्रकार से महत्वपूर्ण भाषा है इस समय 21वीं सदी में new education policy 2020 तो कर दिया गया है लेकिन हमारा सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में वही पुराना सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है पिछले वर्ष ही उसका सिलेबस को अपडेट गया वरना पिछले 20 सालों से वही पुराने सिलेबस को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है

न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक शिक्षा से संबंधित नीतियाँ भारत के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए नई शिक्षा प्रणाली को बनाया जाता है। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने वाले सत्र 2022 में लागू हो जाएगी सरकार का कहना है लेकिन कई दिग्गजों का मानना है कि इस कोरोना वायरस को लागू करना बहुत ही मुश्किल होगा आने वाले सत्र आने वाले साल 2022 तक के सभी स्कूल और कॉलेजों में लागू हो जाएगा| आने वाले सत्र में स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी होगी जिसमें मातृभाषा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षकों की भर्ती अधिक होगी। अब साल में बोर्ड का एग्जाम दो बार होगा जो कि सेमेस्टर में जाना जाएगा सेमेस्टर साल में दो बार होता है छठे महीने का एक बार। अब B.Ed 4 साल का होगा जिसमें शिक्षकों को अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि बच्चों को पढ़ाया गया समझ में आए।

अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंज़ूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिस का लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी

मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और देश का विकास करने में सक्षम होंगे. नई शिक्षा नीति 2020: भारतीय भाषा, कला, और संस्कृति का प्रचार। भारतीय भाषा, कला और संस्कृति का प्रचार न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति बच्चों में विकसित होना जरूरी है, इससे उनमें विभिन्न संस्कृतियों की पहचान सुदृढ़ हो। सभी प्रकार की भारतीय कलाओं को शिक्षा के सभी स्तरों पर स्थापित किया जाए।

* Corresponding Author
मनीष पंवार
शोधार्थी, शिक्षा विभाग, बीएमयु, रोहतक
Email - manishpanwar20172017@gmail.com, Mob.- 8950451225